Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

प्लेटो का न्याय सिद्धांत

रोहित*

* (राजनीति विज्ञान) वार्ड नंबर 11, अनुपगढ (राज.) भारत

शोध सारांश – प्लेटो ग्रीक यूनानी विचारक था जिसने पहली बार न्याय (उस समय के विद्धानों में) को आत्मिक गुण कहा और उसके पूरे न्याय सिद्धान्त में इसी बात के इर्द–गिर्द पुरा क्रम चलता है। जैसे प्लेटो ने व्यक्ति के तीन आन्तरिक गुण बताए विवेक, साहस क्षुदा, तृष्णा इन तीन गुणों के आधार पर ही प्लेटो ने समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया जिनमें विवेक की प्रधानता होगी वे दार्शनिक राजा जिनमें साहस की प्रधानता होगी, वे सैनिक तथा जिनमें तृष्णा लालच की प्रधानता होगी उन्हें उत्पादक वर्ग में रखा है ताकि सभी वर्ग अपनी क्षमतानुसार कार्य का संचालन न्यायपूर्ण तरीके से कर पाएं और प्लेटो ने न्याय को स्पष्टत: परिभाषित भी किया है कि न्याय सिद्धान्त व्यक्ति की आत्मा का गुण है। प्लेटो न्याय को इतनी प्राथमिकता देत है कि उसने धन और पत्नीयां का साम्यवाद तक कर दिया क्योंकि इससे एक न्याय पूर्ण राज्य की स्थापना की जा सके। प्लेटो कहता है कि जब राजा के परिवार नहीं होगा तो उसके अन्दर लालच नहीं होगा और समस्त प्रजा को अपना परिवार समझेगा और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा यदि धन भी संगृहित करने का अधिकार देता है तो भी राजा भ्रष्ट हो जायेगा इस लिये राजा को धन रखना निषेध कर दिया अर्थात प्लेटों राज्य के आवश्यक तत्वों में न्याय को सर्वोपरि रखना चाहता है क्योंकि प्लेटों अपने गुरू सुकरात के साथ हुए अन्याय से झुब्ध था इसी कारण प्लेटो ने दार्शनिक राजा की संकल्पना की जो न्यायप्रिय एवं उदार हो।

शब्द कुंजी– न्याय, गुण, विवेक, साहस, दार्शनिक, रिपब्लिक, स्वार्थ कर्तव्य, समाज, विधि आदि।

प्रस्तावना – पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन में न्याय का अध्ययन प्लेटों की विचारधारा से प्रारम्भ होता है। प्लेटो का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'Republic' का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति और निवास की खोज करना है। प्लेटो की Republic में न्याय का सम्बन्ध इतना प्रमुख है कि Republic का उपशीर्षक 'न्याय से सम्बन्धित' रखा गया है।

प्लेटो के न्याय सिद्धान्त से प्रभावित होकर इबेन्स्तीन ने कहा है कि प्लेटो के न्याय सम्बन्धी में विवेचन में उनमें राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक रूप में न मानकर नैतिक माना है। आगे प्लेटो कहता है 'न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक माँग है।' प्लेटो ने न्याय के दो रूपों का वर्णन किया है एक व्यक्तिगत और सामाजिक या राज्य से सम्बन्धित न्याय तथा प्लेटो ने मानव के तीन गुणों की व्याख्या की है– इन्द्रिय या इच्छा, शौर्य या साहस, बुद्धि आगे प्लेटो ने कहा है समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य निश्चित हैं और चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करे यही न्याय है। प्लेटो ने चार मूल सगुणों की व्याख्या की है संयम साहस, विवेक एवं न्याय तथा इन चार सगुणो में सर्वश्रेष्ठ गुण न्याय को मानता है। प्लेटो के न्याय सिद्धान्त में 'दार्शनिक शासकों का शासन' को समर्थन भी किया गया है। प्लेटो कहते है कि अन्याय करना स्वाभाविक रूप से अच्छा है और दष्टता झेलना बुरा लेकिन भलाई की तुलना में दुष्टता बड़ी है। इसलिए जब लोग अन्याय करने और झेलने दोनो का अनुभव करने लगते हैं और जब वे एक को करने दूसरे को पाने में सफल नहीं होने लगते है। तब सोचने लगते है कि कुछ भी न होने के लिए आपस में समझौता कर लेते है और इसे कानूनी संविदाएं माना जाता है तथा इसे ही न्यायोचित बताया या कहा जाता है (सुकरात स लाइकन–The Republic में) आगे चलकर प्लेटो ने न्याय को सरल शब्दो में समझाने का प्रयास किया है वह (प्लेटो) मानता है कि 'न्याय का प्रमुख कार्य समाज में सामंजस्य तथा सन्तुलन का निर्माण करना है।' प्लेटो ने समाज में समन्वय तथा सन्तुलन बनाए रखने के लिए दो नियम प्रतिपादित किए प्रथम पुरस्कृत करना, दूसरा दण्डित करना अर्थात पुरस्कृत से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति सम्मान पाने के कारण अन्त: खुशी महसूस करेगा और न्यायोचित कार्य करेगा तथा दण्ड के भय से व्यक्ति अनुचित कार्यों को करने से बचेगा इसलिए प्लेटो ने इन दोनों नियमों को प्राथमिकता प्रदान की है।प्लेटो मानता है जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बडे अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते है ठीक उसी तरह व्यक्ति की अपेक्षा राज्य में न्याय स्पष्ट रूप से लक्षित होता हे आगे राज्य के सम्बन्ध में प्लेटो कहते है 'राज्य मानव मतिष्क का ही विराट रूप है' राज्य बलूत के पेड़ो या चट्टोनों से नहीं निकलते बल्कि राज्य में निवास करने वाले लोगों के मस्तिष्क की उपज होते है।

प्लेटो ने यहाँ तक माना है कि व्यक्ति की भाँति राज्य के भी तीन गुण होते है, वासना, साहस, बुद्धि जो आर्थिक, सैनिक, दार्शनिक है। प्लेटो इन्हीं तीनों वर्गों को अपने कर्तव्यों के अनुसार कार्य करना न्याय माना है क्योंकि प्लेटो कहता है अपने कर्तव्य का पालन करना तथा दूसरे के कार्य में बाधा न

डालना ही उचित न्याय है अर्थात प्लेटो स्पष्ट रूप से मानता है कि न्याय आन्तरिक एवं नैतिक है। बी.एच. सेबाइन ने 'A history of Political Theory-1937' में लिखा है कि प्लेटो मानता है 'प्रत्येक व्यक्ति को अपना-2 हक दिलाना ही न्याय है' (Givng to every man his due) अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता एवं इच्छानुसार प्रशिक्षण एवं समाज में स्थान देना न्याय है क्योंकि प्लेटो कहता है 'ज्ञान के आलोक के बिना समस्त संसार अंधकार में भटक जायेगा।' प्लेटो ने शिकायती स्वर में कहा है कि जब हम साधारण सा कार्य जूता बनवाने भी एक अच्छे मोची के पास जाते है तो यह कहाँ तक उचित है कि व्यक्ति बातें बना कर सत्ता में बैठ जाएँ अर्थात प्लेटो जोरदार स्वरों में कहना चाहता है जब हम बीमार होते है तो विशेष चिकित्सक के पास इलाज कराते है ताकि रोग जल्द ठीक हो जाए फिर यह भूल क्यों हो जाती है कि समाज एवं राज्य चलाने वाले विवेकी हों ? जब हम मिठाई खाने को सोचते है तो अच्छे हलवाई के यहाँ जाते है ताकि मिलावट न मिले फिर शासन सत्ता में राजा या शासक मिलावटी कैसे पसन्द किया जाए ? इन सभी बातों से क्षुब्ध होकर प्लेटो कहता है राज्य को रूण रोग लगने से पहले अच्छे दार्शनिक राजा से इलाज कराना ही समझदारी है क्योंकि धूर्त व्यक्तिसों को चिकनी बातें करे वोट लेना आता है लेकिन राज्य का उद्धार नहीं कर पाते और राज्य का पतन होना आरम्भ हो जाता है इसलिए एक अच्छे राज्य के लिए अच्छे दार्शनिक राजा होना अति आवश्यक है जिससे राज्य का विकास हो सके एवं निवास करने वाली जनता का भी उत्थान हो सके। प्लेटो न्याय सिद्धान्त की विशेषताएँ तीन गुणों का समावेश जिसेप्लेटो ने उत्पादक वर्ग को इन्द्रिय तृष्णा, सैनिक वर्ग को साहस और शासक वर्ग को विवेक से युक्त माना है नैतिक सिद्धान्त 'प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को वैधानिक मान्यता प्रदान नहीं की है न्याय को नैतिक और सर्वव्यापी माना है।' कार्य विशिष्टता का सिद्धान्त प्लेटो के न्याय की यह विशेष विशेषता है क्योंकि प्लेटो का मानना है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना कतर्तव्य ईमानदारी पूर्वक करता है तथा अपनी क्षमता एवं इच्छा के अनुरूप कार्य करता है तो वह खुद या स्वंय के साथ-2 राज्य, समाज का भी विकास कर सकेगा वार्शनिक शासक प्लेटो का मानना है कि राज्य रूपी संस्था को सुचारू रूप से चलाने एवं आगे बढ़ाने के लिये एक विवेकी एवं सुयोग्य शासक की आवश्यकता होती है और ऐसा राजा तभी सम्भव है जब राजा दार्शनिक एवं विवेकी हो तभी राज्य एवं समाज का उत्थाना समभव होगा। अत: इस प्रकार प्लेटो अपने समस्त जीवन भर न्याय की संकल्पना लिए चलता रहा और उसके समय में जब असम्य एवं बर्बर स्थिति थी समाज की तब प्लेटो ने न्याय को नैतिक एवं आन्तरिक गुणों पर आधारित माना और उसका यह योगदान जो न्याय से जुड़ा है लोगों को उनके कर्तव्यों को समझाना तथा कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होना जीवन पर्यन्त समझाता रहा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. डॉ. पुखराज जैन, डॉ. अरूणोदय बाजपेई अवधारणाएँ साहित्य भवन पब्लिकेशन।
2. डॉ. पुखराज जैन, राजनीतिक विज्ञान साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
3. ओम प्रकाश गाबा, समकालीन राजनीतिक सिद्धान्त नेशनल पेपर।
4. NCERT(कक्षा-11) राजनीतिक सिद्धान्त 2022 (NCERT नई दिल्ली) प्रष्ठ सं-52

****